राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

प्रशिक्षण रिपोर्ट (अप्रैल 2024 से जुलाई, 2024)
प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा सादर प्रस्तुत

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित कुल अधिकारी एवं कर्मचारी

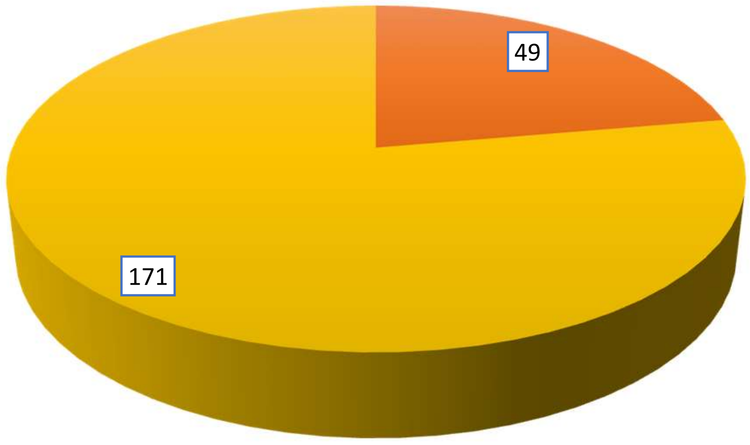

हचमा, रीपा के प्रक्षिक्षण कैलेंडर (२०२४-२५) में विभाग के अधिकारियो एवं कार्मिको के लिए विषयवस्तु एवम श्रेणीवार सम्मिलित करवाए जाने के पश्चात माह अप्रैल से जुलाई २०२४ तक हचमा, रीपा के जयपुर एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों मे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग के 220 अधिकारी/कार्मिक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। जिनमें 49 अधिकारी एवं 171 कर्मचारी सम्मिलित है।

विधि एवम प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा लाईट्स पोर्टल के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कर भाग के लगभग 72 अधिकारी/कर्मचारियो को प्रशिक्षिण दिया जा चुका है।

इस प्रकार विभाग के कुल 290 अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संभागवार संख्या

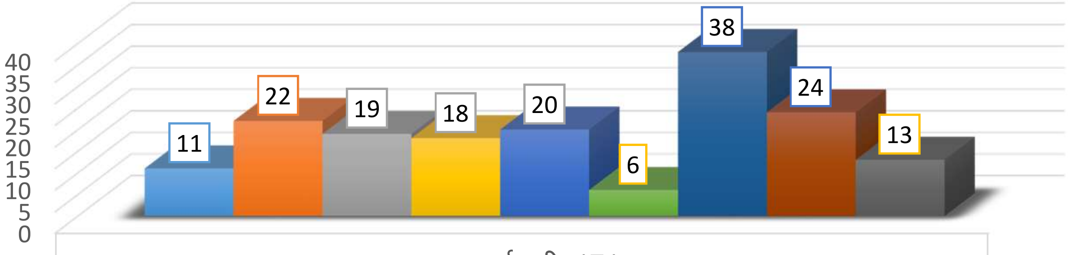

	कुल कर्मचारी 171
बीकानेर	11
कोटा	22
भरतपुर	19
उदयपुर	18
जयपुर संभाग प्रथम	20
जयपुर संभाग ॥	6
जोधपुर	38
अजमेर	24
एमएडीबीवाई व मुख्यालय	13

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में केन्द्र अनुसार प्रशिक्षित अधिकारी/कार्मिकों की संख्या

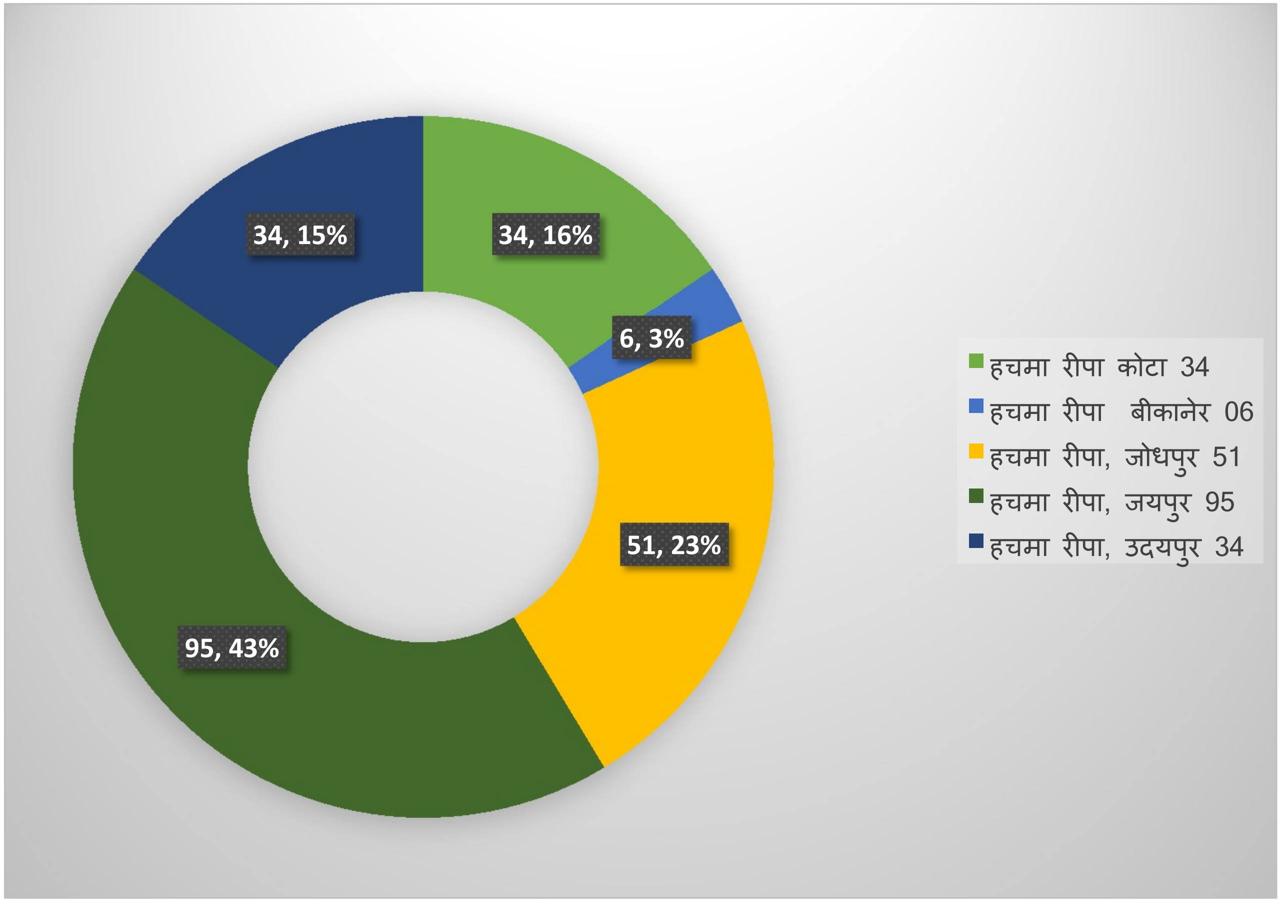

हचमा रीपा के जयपुर स्थिति केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्रों (कोटा,उदयपुर,बीकानेर,जोधपुर) में विभाग के 220 अधिकारी/कार्मिको को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। जिनका प्रशिक्षण केन्द्रवार विवरण सारणी अनुसार है–

एस.आई.पी.एफ. पोर्टल के संबंध में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभागीय पोर्टल के संबंध में सभी जिला कार्यालयों के कार्मिकों में से मास्टर ट्रेनर तैयार करने के उददेश्य से माह दिसम्बर 2023 से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जिसका द्वितीय संस्करण हचमा रीपा, जयपुर में 03 से 04 जून 2024 आयोजित करवाया गया है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्यतः दो प्रमुख उद्देश्य है, **प्रथमः** विभागीय पोर्टल पर हो रहे नवाचारों के संबंध में कार्मिकों को प्रशिक्षित करना एवं **द्वितीयः** प्रशिक्षित कार्मिकों के द्वारा जिला कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है जिससे जिला कार्यालय में पदस्थापित सभी कार्मिक विभागीय पोर्टल पर हो रहे नवाचारों के संबंध जानकारी प्राप्त कर सके।